क्रम-संख्या—139

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज़ पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

**भाग—2, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

**लखनऊ, शुक्रवार, 15 जून, 2007**

**ज्येष्ठ 25, 1929 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

विधायी अनुभाग—1

संख्या 869/79—वि—1—07—02—(क)16-2007

लखनऊ, 15 जून, 2007

अधिसूचना

**विविध**

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2007) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

## उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007

**(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2007)**

(भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिये,

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है, और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है,

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 कहा जायेगा।



राष्ट्रपति अधिनियम संख्या—1 सन् 1996 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

"(3) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे,

परन्तु यह कि सोलह सदस्य, जिनमें अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है, पिछड़े वर्गों से होंगे।"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये पद धारण करेंगे,

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य इस रूप में राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(6) (क) अध्यक्ष को राज्यमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी"

(ख) उपाध्यक्ष को राज्य के उप मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी"

टी० वी० राजेस्वर,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।